राजस्थान सरकार

राजस्व (गुप–1) विभाग

क्रमांकः प.5(15)राज–1/2014 जयपुर, दिनांक : 08.03.2019

–: **आज्ञा** :–

राजस्थान राजस्व मण्डल (विधि अधिकारी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 1980 के नियम–3 के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न शर्तों के अध्यधीन राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के लिये अभिभाषकों को दिनांक 15.03.2019 तक कार्यग्रहण करने की स्थिति में 6 माह की परिविक्षा अवधि के लिये (उनके कार्यभार संभालने की तिथि से) निम्नानुसार अतिरिक्त राजकीय/उप राजकीय अभिभाषकों के पद पर एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है :–

अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक (01 पद) :

1	श्रीमती पूनम माथुर	म.न. 19, शास्त्री नगर, फस्ट शोपिंग सेंटर के पास, अजमेर

उप राजकीय अभिभाषक (05 पद) :

1.	श्री ओम प्रकाश भट्ट	म.न. 171./34, विनय नगर, दादाबाडी, अजमेर
2.	श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत	म.न. बी-20, दाता नगर, रेम्बल रोड, अजमेर
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना	म.न. 149/40, न्यू केसरी कालोनी, आदर्श नगर, अजमेर
4.	श्री शोकिन्द लाल गुर्जर	34, देवनगर ग्लोबल कालेज के पीछे, पंचशील रोड लोहागल, अजमेर
5.	श्री रामसुख चौधरी	म.न. 561/50, महावर भवन टाक शिक्षा निकेतन स्कूल के पास पुलिस लाईन, अजमेर

1. उक्त नवनियुक्त अतिरिक्त राजकीय/उप राजकीय अभिभाषक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में नियमित अधिवक्ता के रूप में कार्य करेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि इनका कार्य संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी सूचना के पदच्युत किया जा सकता है। कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में 6 माह पश्चात नियमानुसार राजस्व मण्डल के अध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर उक्त नियमों के नियम–5 के अन्तर्गत कार्य अवधि नियमित की/बढाई जा सकेगी।
2. नियुक्ति के दौरान उपरोक्त नियमो के नियम–7 के अन्तर्गत वर्तमान में देय (अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक–3400/रू. व उप राजकीय अभिभाषक –3000/रू. प्रतिमाह) रिटेनर फीस प्रतिमाह देय होगी।
3. उपरोक्त विधिक अधिकारीगण राजस्थान राजस्व मण्डल के समक्ष राजस्थान सरकार की ओर से उन समस्त मामलों मे, जिनमें कि सरकार पक्षकार है अथवा उसका हित निहित है पैरवी करेंगे। राज्य सरकार एवं अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा निर्देशित मामलों में कानूनी सलाह भी देंगे।
4. उक्त विधि अधिकारी किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धशासकीय निकायों अथवा निगमों के ऐसे मामलों में जिनमें भी राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, पैरवी करना (ब्रीफ) स्वीकार नहीं करेंगे।
5. उक्त राजकीय/अतिरिक्त राजकीय/उप राजकीय अभिभाषक राजस्थान राजस्व मण्डल (विधि अधिकारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 1980 के उप नियमों का पालन करेंगे।

8/3/2019

क्रमशः ....2 पर

Scanned with CamScanner

6. राजस्व मण्डल में पूर्व में पदस्थापित व कार्यरत राजकीय/अतिरिक्त राजकीय/उप राजकीय अभिभाषकों की सेवायें इस विभाग के समसंख्यक नोटिस दिनांक 14.02.2019 द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

आज्ञा से,

(विष्णु कुमार गोयल)
संयुक्त शासन सचिव

निर्देशानुसार प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्व।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स, राजस्थान
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि आवश्यक कार्यवाही के साथ उपरोक्त नव नियुक्त अभिभाषकों के कार्यग्रहण की तिथि से कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में 6 माह पश्चात नियमानुसार राजस्व मण्डल के अध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर उक्त नियमों के नियम-5 के अन्तर्गत कार्य अवधि नियमित की/बढाई जाने हेतु अनुशंषा आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें।
8. विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
9. संबंधित : वर्तमान में कार्यरत/नव नियुक्त राजकीय अभिभाषक/अति0 राजकीय अभिभाषक/उप राजकीय अभिभाषक मार्फत निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
10. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2/3) विभाग
11. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

निर्देशानुसार प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर

संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner